संख्या- 159 /78-1-2018-123आई0टी0/2016

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवामें,

1- समस्तअपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरप्रदेश।

आईटी एवंइ लेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 05 फरवरी, 2018

विषयः उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अध्याय 4 के अन्तर्गत निहित बिन्दुओं 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 तथा 4.11 के अनुपालन के सम्बन्ध में

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1134/78- 1-2017-87आईटी/2014 दिनांक 21 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा शासनादेश संख्या 1621/78-1-2016-123 आईटी/2016 दिनांक 22 दिसम्बर 2016 द्वारा यथासंशोधित "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014" को अवक्रमित करती है।

2 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत नोएडा ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को "इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन' उद्घोषित किया गया है तथा नीति के समस्त प्रोत्साहन इस उद्घोषित क्षेत्र में स्थापित होने वाली सभी इकाइयों को अनुमन्य होंगे।

3 राज्य में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन में स्थापित हो रहे इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स/ई.एस.डी.एम. पार्क्स तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना को परिलक्षित करते हुए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि अथवा सक्षम स्तर से अनुमोदित रू 20,000 करोड़ (फैब इकाई के अतिरिक्त, यदि हो तो) तक वित्तीय प्रोत्साहन, जो भी पहले हो, हेतु विभिन्न प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे।

4 उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अध्याय 4 के अन्तर्गत प्रस्तर 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 तथा 4.11 में ई0एस0डी0एम0 इकाईयों को निम्न प्रोत्साहन दिये जाने का प्राविधान निहित हैः-

4.6 भूमि हेतु प्राविधान

इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग जोन के अन्दर स्थापित इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स/ ई.एस.डी.एम. पार्क्स तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों को सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

फ्लोर एरिया रेशियो. इकाइयों को 3.0+ 1.0 (क्रय योग्य) फ्लोर एरिया रेशियो की अनुमन्यता होगी।

कर्मकारों हेतु डारमिटरीज तथा कल्याणकारी सुविधायें न्यूनतम 50 एकड़ भूमि क्षेत्र में "इण्डस्ट्रियल लैण्ड यूज" में 30 प्रतिशत के कुल फ्लोर एरिया रेशियो की सीमा तक भूमि का उपयोग कल्याणकारी सुविधाओं यथा कर्मकारों हेतु डारमिटरीज, कैण्टीन, डिस्पेन्सरी आदि की अनुमति होगी।

सेक्टर दरों पर छूट की प्रतिपूर्ति राजकीय बजट से की जायेगी। उपरोक्त के सन्दर्भ में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा पृथक शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

1- यहशासनादेशइलेक्ट्रानिकलीजारीकियागयाहै, अतः इसपरहस्ताक्षरकीआवश्यकतानहींहै।
2- इसशासनादेशकीप्रमाणिकतावेबसाइटhttp://shasanadesh.up.nic.inसेसत्यापितकीजासकतीहै।

4.7 प्रकरण (केस-टू-केस) आधारित प्रोत्साहन

मात्र रू 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली ESDM इकाइयों हेतु

विकल्प 1:

- रू 200 करोड़ से अधिक तथा रू 300 करोड़ की सीमा तक के निवेश तथा न्यूनतम 1000 रोजगार सृजन वाली ई.एस.डी.एम. इकाइयों को नीति के विद्यमान प्राविधानों के अनुरूप ही विशेष प्रोत्साहन दिये जायेंगे, जिसका निर्धारण सशक्त समिति द्वारा किया जायेगा। पूंजी उपादान (अधिकतम रू0 150 करोड़ की सीमा तक) और ब्याज उपादान के मदों में केस टू केस आधार पर प्रोत्साहनों की अधिकतम वित्तीय सीमा को सशक्त समिति की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त शिथिल किया जा सकता है।
- रू 300 करोड़ से अधिक निवेश तथा न्यूनतम 1500 रोजगार सृजन वाली ई.एस.डी.एम. इकाइयों को नीति के विद्यमान प्राविधानों के अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन दिये जायेंगे जो ई.पी.एफ, ई.एस.आई. की प्रतिपूर्ति, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की प्रतिपूर्ति, प्रशिक्षण मूल्य की प्रतिपूर्ति, भूमि, ऊर्जा पर छूट इत्यादि एवं अन्य किन्हीं मदों में छूट के रूप में होंगे, जिसका निर्धारण सशक्त समिति की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से किया जायेगा।

विकल्प 2:

- रू 200 करोड़ से अधिक निवेश तथा न्यूनतम 1000 रोजगार सृजन वाली ई.एस.डी.एम. इकाइयों को भूमि को छोड़कर, अन्य स्थिर पूंजी निवेश (यथा भवन, प्लान्ट और मशीनरी, परीक्षण उपकरण इत्यादि) के अधिकतम 200 प्रतिशत की सीमा सहित, 10 वर्षों की अवधि तक, जो भी पहले हो, स्टेट जी.एस.टी. की 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, जिसका निर्धारण सशक्त समिति की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से किया जायेगा।
- इस विकल्प के अन्तर्गत, उपरोक्त उल्लिखित स्टेट जी.एस.टी. की 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त, केवल "स्टाम्प ड्यूटी", "भूमि हेतु प्राविधान", "ई0एम0सी0 अवस्थापना सुविधायें" तथा "गैर वित्तीय प्रोत्साहन" अनुमन्य होंगे।

अभ्युक्तिः

- इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग जोन में स्थापित होने वाली ई.एस.डी.एम. इकाईयों द्वारा दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प के सभी प्राविधानों का पूर्ण चयन करना होगा। इकाई द्वारा दोनों विकल्पों में से प्राविधानों का आंशिक चयन अनुमन्य नहीं होगा।
- किसी भी इकाई को प्रदेश सरकार के समस्त स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले वित्तीय प्रोत्साहन, जब तक कि नीति में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इकाई के स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

"फैब इकाई" फैब इकाइयों को केस-टू-केस आधार पर मा. मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से विशेष प्रोत्साहन दिये जाने हेतु एक कम्पलीट पैकेज (जिसमें भूमि, बिजली, पानी, अवस्थापना, अंशपूंजी सहभागिता, वित्तीय प्रोत्साहन एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन इत्यादि सम्मिलित हो) की अनुमन्यता होगी।

4.8 ई.एम.सी. अवस्थापना सुविधायें

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित, ई.एम.सी. की स्थापना हेतु सामान्य सुविधाओं (सड़क, बिजली, जल, ई.टी.पी., परीक्षण सुविधाओं, सामाजिक अवस्थापना इत्यादि) के विकास पर हुए व्यय के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स नीति 2012 की ई.एम.सी. योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त उपादान का 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।

टिप्पणीःउपरोक्त वर्णित समस्त प्रोत्साहन ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण कम्पनियों (रि-साइकिलिंग इकाइयों) को भी अनुमन्य होंगे।

1- यहशासनादेशइलेक्ट्रानिकलीजारीकियागयाहै, अतः इसपरहस्ताक्षरकीआवश्यकतानहींहै।
2- इसशासनादेशकीप्रमाणिकतावेबसाइटhttp://shasanadesh.up.nic.inसेसत्यापितकीजासकतीहै।

4.9 अन्य हितलाभ

- प्रदेश में इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग जोन में स्थापित होने वाली इलेक्ट्रानिक क्षेत्र की इकाईयों की आवश्यकतानुसार, उ0प्र0 के मूल निवासी कार्मिकों को देश तथा विदेश में उच्च कौशल प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण जैसे एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन, वी.एल.एस.आई. डिजाइन, पी.सी.बी. डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युक्चरिंग, टी.एफ.टी. मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि हेतु स्थिर पूंजी निवेश के अधिकतम 05 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति प्रशिक्षण मूल्य के आधार पर, अधिकतम रू 25 करोड़ प्रति इकाई, कार्मिको की छह माह की सेवा के पश्चात, कार्मिकों के प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा प्रति कार्मिक, विदेश में प्रशिक्षण के लिये रू. 2.50 लाख एवं देश में प्रशिक्षण के लिये रू. 1.00 लाख की अनुमन्यता।

  यह अनुदान केस-टू-केस आधार पर रू 300 करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाइयों को ही अनुमन्य होंगे तथा समस्त स्रोतों से मिलने वाले कुल प्रोत्साहन, स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
- इलेक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु वांछनीय कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के साथ जोड़ा जाना जिससे कि योजना के लाभ सुपात्रों को प्राप्त हों।
- इस योजना हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवंटित निधियों से ई.एस.डी.एम. क्षेत्र के अनुरूप कौशल विकास।
- सप्ताह के सातों दिन 24 घण्टे परिचालन तथा सभी तीन पालियों में महिलाओं को कार्य की अनुमति। उक्त के सन्दर्भ में श्रम विभाग द्वारा पृथक शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

4.11 निर्बाध विद्युत आपूर्ति

विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति हेतु 'संरक्षित-भार' - ई.एम.सी./ई.एस.डी.एम. पार्क्स/फैब इकाई हेतु निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा ई.एम.सी.एस.पी.वी/ फैब इकाई/ ई.एस.डी.एम. पार्क्स के विकासकर्ता के साथ, आवश्यकतानुसार, सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा, जिससे विश्वसनीय एवं गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी।

5- उपरोक्त के क्रम में अपेक्षा की जाती है कि सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव अपने अधीनस्थ विभागों, संस्थाओं, संगठनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में प्रदेश शासन के उक्त संकल्प का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

सँख्या- 159 (1)/78-1-2018/तद्दिनांक
प्रतिलिपिनिम्नलिखितकोसूचनार्थएवंआवश्यककार्यवाहीहेतुप्रेषितः-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
7. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञासे,

(राज बहादुर)
उप सचिव

02-02-18

02/02/18

1- यहशासनादेशइलेक्ट्रानिकलीजारीकियागयाहै, अतः इसपरहस्ताक्षरकीआवश्यकतानहींहै।
2- इसशासनादेशकीप्रमाणिकतावेबसाइटhttp://shasanadesh.up.nic.inसेसत्यापितकीजासकतीहै।